

कार्यालय- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक

/ भवन / 2017-18

दिनांक

अपर निदेशक ग्रेड-2

पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश,

~~समस्त~~ मण्डल ~~उ० प्र०~~ ।

विषय- ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा (01 से 15 अक्टूबर, 2017) मनाये जाने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव उ० प्र० शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के पत्रांक 1470 / 38-3-2017, दिनांक 28 अगस्त 2017 एवं संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्रांक - 25-1 (05) 2014-एडीएफ/एआर दिनांक 15.09.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके क्रम में स्वच्छता एवं ग्राम्य समृद्धि के कार्यों के प्रति जन समा को अवगत कराते हुए स्वच्छता (जल संरक्षण/संचयन, शौचालय का उपयोग, सालिड एवं लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट नान- बायोडीग्रेडेबिल वास्ट आदि) स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह तथा सघन जनसूचना प्रणाली के विभिन्न आया पर प्रमुखता दी जाने की अपेक्षा की गई है।

अतः विभाग के सभी कार्यालयों, प्रक्षेत्रों, पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर दिनांक 01.10.2017 से 15.10.2017 तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।

(डा० चरण सिंह यादव)

निदेशक

प्रशासन एवं विकास

पत्रांक 202 / भवन / 2017-18

तददिनांक। 28-09-2017

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-उपनिदेशक, प्रक्षेत्र, महानगर, लखनऊ।
- 2-संयुक्त निदेशक, चकगंजरिया, लखनऊ/बाबूगढ़ -गाजियाबाद/मझरा -खीरी।
- 3-श्री नवीनगुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना विभागीय बेवसाइड पर अपलोड करते हुए समस्त मण्डलीय अधिकारियों के ई-मेल पर सूचित करें।

(डा० चरण सिंह यादव)

निदेशक

प्रशासन एवं विकास

क्र. 1685/34-2-17

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या-1170/38-3-17/2017

प्रेषक,
राजीव कुमार
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

29/08/2017

समस्त जिलाधिकारी

ग्राम्य विकास अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 28 अगस्त, 2017

विषय- ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा (01से 15 अक्टूबर, 2017) मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है, कि जनसंख्या का काफी भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित है। फलस्वरूप ग्रामीण जन समुदाय के स्वस्थ जीवन एवं ग्रामीण समृद्धि के लिये ग्रामीण स्वच्छता एक प्रमुख घटक है। गाँवों में विशेष रूप से वर्षा ऋतु के दौरान तथा वर्षा उपरान्त भी उत्पन्न होने वाली विभिन्न बीमारियों से बचाव एवं रोकथाम के लिये सार्वजनिक स्वच्छता को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने की नितान्त आवश्यकता है।

उपर्युक्त के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के अ0शा0प0सं0-R-20015/08/2015/DRDA दिनांक 28.07.2017 द्वारा ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा (01से 15 अक्टूबर, 2017) के आयोजन हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। जनपद स्तर पर स्थापित जिला ग्राम विकास अभिकरणों के द्वारा पखवाड़ा अभियान के आयोजन में प्रभावी योगदान प्रदान किया जाना अपेक्षित है। ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा के सफल आयोजन में ग्राम्य विकास विभाग के साथ-साथ पंचायती राज एवं अन्य विभागों के संयुक्त प्रयासों से लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता कार्यों के लिये प्रमुखतः ग्राम सभा की बैठकों में गाँव के विकास के लिये विभिन्न मुद्दों को प्रस्तुत कर समाधान निकालना तथा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जन सामान्य को अवगत कराते हुये स्वच्छता अभियान के माध्यम से लाभ दिलाना है। अभियान की सफलता के लिये सभी ग्राम पंचायतों में विकास चुनौतियाँ यथा- स्वच्छता (जल संरक्षण/संचयन, शौचालय का उपयोग, सॉलिड एवं लिक्विड रिसॉर्स मैनेजमेंट, ग्रीन-बायोडीग्रेडेबिल वॉस्ट आदि) स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह तथा सघन जन सूचना प्रणाली के विभिन्न आयामों पर प्रमुखता दी जानी होगी। उक्त के साथ

29-08-2017
(डॉ० सुधीर एन० तिवारी)
प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

29/08/2017

US

30/8

अभिषेक
प्रशासन
कृषि

(मुख्य सचिव)
अनुभाग अधिकारी
पशुधन अनुभाग-2
उ० प्र० शासन।

22.08.17

ही साथ मिशन अन्त्योदय, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों, ऊर्ध्व कलदर्श, सांसद आदर्श ग्राम योजना कलदर्श, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण मनरेगा एवं स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता कार्यक्रमों का यथासम्भव आच्छादन किया जाये।

अतः ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा के सफल आयोजन हेतु निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार के यथा निर्देशानुसार संबंधित विभागों से समन्वय कर चिन्हित कार्यों का प्रभावी नियोजन एवं कार्यान्वयन समयान्तर्गत सुनिश्चित किया जाये। ग्राम स्तर से लेकर जनपद स्तर तक जिम्मेदार अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाये और रोस्टर तैयार कर प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित प्रगति प्राप्त की जाये। जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। अपेक्षित प्रगति आख्या आयुक्त, ग्राम्य विकास की ई-मेल upcrd75@gmail.com पर नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाये।

ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की सफलता के लिये सम्यक ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव

1470
सं०— (1) / 38-3-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, दुग्ध विकास, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, वैकल्पिक उर्जा विभाग, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, नियोजन एवं वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
5. शासन द्वारा नामित समस्त नोडल अधिकारी, उ०प्र० शासन।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
7. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखन।
8. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/अपर आयुक्त मनरेगा/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उ०प्र० लखनऊ/प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

